न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 156 / 2015 दायर दिनांक 16.12.2015

उनवान

1. रामी पुत्री लोभा जाति भील आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन पत्नी ईश्वरलाल जाति भील हाल मुकाम सिंहपुर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. सोहनी पुत्री लोभा जाति भील आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन पत्नी गमेर पिता फता जाति भील हाल मुकाम लोडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. जोधा पिता कालू जाति भील आयु वयस्क निवासी जीतिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. मांगीलाल पिता नगजीराम जाति भील आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सिविल प्रकिया संहिता :—

निर्णय दिनांकः 19.07.2023

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सिविल प्रकिया संहिता के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा पाण्डोली तहसील कपासन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1855 मी. रकबा 0.02 है0, आ.नं. 1855 बटा 1 रकबा 0.20 हैक्टर, आ.नं. 1857 रकबा 0.13 हैक्टर, आ.नं. 2579 रकबा 0.73 हैक्टर को वादीगण की खातेदारी की घोषित किये जाने का पेश किया जिसका अन्तिम निर्णय न्यायालय आप द्वारा दिनांक 02.11.2010 को किया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत पाण्डोली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 29.01.1997 को निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया एवं वादीगण को वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार घोषित किये जाने का आदेश हुआ।

यह कि न्यायालय आप द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1855 मी. रकबा 0.02 हैक्टर, 1855 बटा 1 रकबा 0.20 हैक्टर, 1857 रकबा 0.13 हैक्टर का नामान्तरकरण संख्या 767 दिनांक 15.03.2013 को वादीगण के खातेदारी से दर्ज किये जाने का अंकन राजस्व रेकार्ड में हो गया परन्तु आराजी खसरा नम्बर 2579 रकबा 0.73 हैक्टर का नामान्तरकरण वादीगण के नाम पर नहीं खुला एवं वर्तमान में भी उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या दो के नाम पर ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज चल रही है।

यह कि उक्त आराजी नम्बर 2579 रकबा 0.73 हैक्टर को अपने नाम पर खातेदारी से दर्ज कराने हेतु न्यायालय आप का निर्णय होने के पश्चात पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि डिक्री में उक्त आराजी का हवाला नहीं है इसलिये बिना न्यायालय के आदेश के वह राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:54:08 IST
Reason: SelfAttested

यह कि पटवारी हल्का द्वारा [illegible] वादीगण ने पुनः कानूनी सलाहकार से सलाह ली तो जानकारी हुई कि न्यायालय आप द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में लिपीकीय भूल सहवन से एवं टाइपिंग त्रुटि के कारण उक्त आराजी खसरा नम्बर 2579 रकबा 0.73 हैक्टर का अंकन होना रह गया इस कारण पुनः दुरूस्ती करानी पडेगी। तत्पश्चात हम

वादीगण अपने परिवार सहित मजदूरी करने बाहर चली गई इस कारण प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकी।

यह कि उक्त आराजी नं. 2579 रकबा 0.73 हैक्टर पूर्व में हम वादीगण के पिता लोभा पिता भेरा जाति भील के खातेदारी की थी जिसके साबिक पैमायश में आ.नं. 1505 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा थे।

यह कि उक्त आ.नं. 2579 को खातेदारी से दर्ज कराने हेतु हम वादीगण ने हमारे द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकन किया है एवं साक्ष्य भी दी है। इस कारण न्यायालय आप द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में हुई लिपीकीय भूल को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं उक्त आराजी का खातेदारी काश्तकार हम वादीगण को घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना आवश्यक है। एवं निर्णय व डिक्री में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना की कि रेकार्ड से पत्रावली तलब की जाकर निर्णय व डिक्री में संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर वाद संख्या 15/2010 निर्णय दिनांक 02.11.2010 को रेकार्ड रूम से तलब किया जाने बाबत् तहरीर जारी की गई। पत्रावली जिला अभिलेखागार चित्तौड़गढ़ से जरिये पत्र क्रमांक/अभिलेखागार/2022/100 दिनांक 04.11.2022 से प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस एकतरफा हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गई, दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि आराजी संख्या 1855 मी., 1855/1, 1857, 2579 हेतु वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया उक्त वाद निर्णय दिनांक 02.11.2010 में निर्णय व डिक्री में आराजी संख्या 2579 का अंकन सहवन से रह गया। अतः उक्त आराजी को निर्णय व डिक्री में जोडे जाने बाबत निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र 151, 152 सि.प्र.स. का अवलोकन किया। मूल वाद 15/2010 का अवलोकन किया, निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया। वाद निर्णयन भाग में खाता संख्या 215 जमाबन्दी संवंत 2064 में खसरा नम्बर 1855, 1855/1, 1857 प्रतिवादी संख्या 1 जोधा पिता कालू निवासी जीतिया के नाम दर्ज रेकार्ड था। इसके अलावा ग्राम पंचायत पाण्डोली के नामान्तरण रजिस्टर संख्या 46 दिनांक 29.01.1997 का अवलोकन किया उक्त नामान्तरकरण को निर्णय में निरस्त किया गया है, उक्त नामान्तरकरण में प्रतिवादी संख्या 1 जोधा के नाम दर्ज किया गया था। सम्पूर्ण निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध तक स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है, न ही निर्णयन भाग में उसका कोई हवाला दिया गया है।

धारा 151, 152 सी0पी0सी0 का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि सुधार केवल आकस्मिक चूक या लिपिकीय गलतियों को सुधारने के लिए है, न कि उन सभी चूकों और गलतियों को सुधारने के लिए जो न्यायालय द्वारा निर्णय, डिक्री या आदेश पारित करते समय की गई होंगी। जिस चूक को ठीक करने की मांग की गई है, वह मामले के गुण–दोष पर निर्भर करती है, जो धारा 152 के दायरे से परे है, जिसके लिए पीड़ित पक्ष के लिए उचित उपाय अपील या समीक्षा आवेदन दायर करना है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आराजी संख्या 2579 निर्णय व डिक्री में जोड़े जाने बाबत् निर्णय में उक्त आराजी के संबंध में किसी प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से संशोधित डिक्री व निर्णय जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सिविल प्रकिया संहिता इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र मूल वाद 15/2010 के साथ संलग्न रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:54:08 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन